<u>\*</u>

## श्री अमरनाथ यात्रा 2017 के तीर्थयात्रियों का पंजीकरण

## श्री अमरनाथ यात्रा 2017 - 29 जून से 07 अगस्त तक

Posted On: 06 JUN 2017 6:25PM by PIB Delhi

श्री अमरनाथ यात्रा 2017 के तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया 01 मार्च 2017 से सभी वैंकशासाओं में शुरू हो चुकी है। श्री अमरनाथ श्राईन वोर्ड के अध्यक्ष व जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल नेवेंक के माध्यम से यात्रियों के पंजीकरण <mark>के</mark> वि

- 1. पंजीकरण और यात्रा परिमट पहले आओ और पहले पाओं के आधार पर जारी की जाएगी।
- 2. एक यात्रा परिमट सिर्फ एक यात्री के पंजीकरण के लिए मान्य होगा।
- 3. यातिरयों के पंजीकरण के लिए पुरत्येक पंजीकरण शाखा को एक निश्चित पुरति रूट की टाआवंटित किया गया है। पंजीकरण कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि यातिरयों की संख्या आवंटितपुरतिदिन / पुरति रूट की संख्या से अधिक न हो।
- 4. यात्रा के लिए 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से ज्यादा आयु तथा 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाका पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
- 5. पुरत्येक यात्री को यात्रा का परिमट पुराप्त करने के लिए एक आवेदन-पत्र और एक अनिवार्य स्वास्थ्यपुरमाण-पत्र (सी.एच.सी.) जमा करना होगा। आवेदन पत्र और सी.एच.सी. का पुरारूप तथा अधिकृतडॉक्टरों /चिकित्सा संस्थानों की सूची एस.ए एस
- 6. पंजीकरण शाखा के द्वारा यात्रियों को आवेदन-पत्र और सी.एच.सी. निशुल्क उपलब्ध करायाजाएगा।
- 7. यात्रा परिमट के आवेदन के लिए, आवेदक-यात्री को निम्न दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी को जमाकरने होंगें:-
- क) भरे गए निर्धारित आवेदन-पत्र तथा
- स्र) अधिकृत डॉक्टर / चिकित्सा संस्था द्वारा 10 फरवरी, 2017 या इसके बाद जारी निर्धारितअनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
- ग) चार पासपोर्ट आकार के फोटो (तीन यात्रा परमिट के लिए तथा एक आवेदन पत्र के लिए)
- 8. पंजीकरण अधिकारी निम्न की जाँच करेगा:
- क) क्या यात्री के द्वारा आवेदन-पत्र सही-सही भरा गया है और हस्ताक्षरित किया गया है ?
- स्र) क्या सी.एच.सी. अधिकृत डॉक्टर /चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किया गया है ?
- ग) क्या सी.एच.सी. 10 फरवरी, 2017 को या इसके बाद जारी किया गया है ?
- 9. यात्री द्वारा की जाने वाली यात्रा का दिन विशेष (सोमवार, मंगलवार, वुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, श्रक्रवार, श्रक्रवार, श्रक्रवार या रविवार) यात्रा परिमट पर मुद्रित किया जाएगा। यात्रा परिमट पर मुद्रित किए गए दिन कोयात्री वलटल और चंदनवाड़ी (पहलगाम) स्थित र
- 10. बैंक शाखा यह सुनिश्चत करेगी कि जिस दिन एक्सेस कंटरोल गेट को पार करने के लिए यात्रापरिमट जारी किया गया है वह दिन और यात्रा परिमट पर मुद्दिरत दिन (सोमवार, मंगलवार, बुधवार,गुरूवार, शुक्ररवार, शुक्ररवार, शर्करान या रविवार) एक समान है।
- 11. यात्री परिमट प्रपत्र में यात्रा का वर्ष और दिन मुद्रित नहीं किया गया है इसलिए जारी करने वालीवेंक शासा के लिए यह अनिवार्य है कि वह यात्रा का वर्ष और दिन की मुहर लगाए या लिसकर अंकितकरे और इस प्रकार लिसे गए या मुहर लगाए गए
- 12. यदि आवेदन-प्रपत्र और सी.एच.सी सही है तो पंजीकरण अधिकारी आवेदक को प्रत्येक यातृपापरिमट के लिए रूपये 50 के भुगतान पर (इस राशि में 35 रूपये एस.ए.एस.बी. के खाते में चले जाएंगेऔर शेष राशि बैंक के पास रहेगी) तथा पैरा 13 से 16
- 13. पंजीकरण अधिकारी आवेदन-पत्र और सी.एच.सी. में वर्णित विवरण के आधार पर नियत स्थानपर यात्रा परिमट प्रपत्र में पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएगा। यात्रा की तिथि भी सही-सही अंकितकी जाएगी।
- 14. पंजीकरण अधिकारी यात्रा परिमट पर इस प्रकार से हस्ताक्षर करेगा और बैंक शाखा की सीललगाएगा कि सील का एक हिस्सा आवेदक की फोटो पर तथा शेष हिस्सा परिमट पर अंकित हो जाए हालांकि यात्रा की तिथि, वर्ष और बैंक शाखा की मुहर यात्
- 15. आवेदक-यात्री को यात्रा परिमट जारी करने से पहले पंजीकरण अधिकारी निम्न विवरणों का ब्यौराप्रस्तुत करेगा।
- क) यात्रा परमिट जारी करने की तारीख
- ख) यात्रा परिमट का क्रमांक
- ग) आवेदक यात्री का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नं.
- घ) आपातकालीन स्थिति में सूचना देने के लिए आवेदक यात्री द्वारा नामित व्यक्ति
- ड) तीर्थ यातरा का मार्ग
- च) बलटल /पहलगाम से यात्रा प्रारंभ करने की तारीख
- 16. पंजीकरण अधिकारी वलटल मार्ग के लिए **BALTAL** तथा पहलगाम मार्ग के लिए **PHALGAM** अंकित करते हुए यात्रा परिमट जारी करेगा।

वीके/जेके/एनएम-1633

(Release ID: 1491989) Visitor Counter : 5